भारत सरकार /Government of India
वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,
सातंवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown ,Kolkata – 700156

संख्या :पटसन(विपणन)/106/कच्चे जूट रजीस्ट्रेशन/15-II

दिनांक: 23-05-2025

आदेश

ऑनलाइन भेजी जानेवाली विवरणी के फार्मेट को और अधिक सरल बनाने के संबंध में पटसन आयुक्त कार्यालय ने पंजीकृत कच्चा जूट व्यापारियों को दिनांक 24.12.2024 की सूचना द्वारा सूचित किया था तथा उन्हें निर्देश दिए गए थे कि कच्चा जूट की खरीद एवं बिक्री की पाक्षिक विवरणी 'जूट स्मार्ट' पोर्टल में ऑनलाइन प्रस्तुत करें। उक्त नोटिस में निर्देश दिए गए थे कि कच्चा जूट के व्यापारियों द्वारा महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक की अवधि हेतु प्रस्तुत की जानेवाली आवधिक विवरणी चालू महीने की 20 तारीख से पहले भेज दी जाए तथा 16 तारीख से महीने के अंत तक की अवधि की विवरणी आगामी महीने की 5 तारीख तक प्रस्तुत कर दी जाए। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि कोई व्यापार नहीं हुआ है या कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है तो भी निर्धारित तिथि के भीतर 'शून्य' विवरणी भेजी जानी अपेक्षित है।

2. इस संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 20.05.2025 के कार्यालय आदेश (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अब, यह देखा गया है कि विवरणी के फार्मेट को सरल बनाए जाने के बाद भी अनेक पंजीकृत कच्चा जूट व्यापारी कच्चा जूट खरीद एवं बिक्री के विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे है। अतएव, पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, मलय चंदन चक्रबर्ती, पटसन आयुक्त एतद्वारा आपको निर्देश देता हूँ कि प्रत्येक पखवाड़े में कच्चा जूट के स्टॉक संबंधी ब्यौरा दिनांक 24.12.2024 को जारी नोटिस के अनुबंध- । में दिए गए फार्मेट में 'जूट स्मार्ट' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर 'जूट स्मार्ट' पोर्टल में लॉग-इन कर भी आप यह विवरणी प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. कुछ व्यापारियों/स्टॉकिस्टों/बेलरों द्वारा सूचित किया गया है कि तकनीकी समस्याओं के कारण 'जूट स्मार्ट' पोर्टल में वे लॉन-इन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पटसन आयुक्त कार्यालय की तकनीकी टीम के साथ मिलकर इसका समाधान किया जा सकता है। विकल्प के तौर पर, यदि आप किसी कारण से 'जूट स्मार्ट' पोर्टल पर ऑनलाइन विवरणी नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो निर्धारित फार्मेट में हस्ताक्षरित विवरणी पटसन आयुक्त कार्यालय को इस प्रकार भेजें कि उपर्युक्त निर्धिरित तिथि के भीतर अवश्य प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथियों के भीतर पटसन आयुक्त कार्यालय में विवरणियाँ प्राप्त होना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। सूचना नहीं देने या सूचना में विलंब के मामले को जान-बूझकर उल्लंघन करना माना जाएगा।

4. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (7) के साथ पठित पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के उपबंध 11 के अंतर्गत आप दंड के भागी होंगे।

S/d.

(मलय चंदन चक्रबर्ती)
पटसन आयुक्त

सेवा में,

1. **कच्चा जूट के सभी व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट/दलाल आदि।**
2. **अध्यक्ष, जूट बेलर्स एसोसिएशन, 12 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700001. उनसे अनुरोध है कि वे कच्चा जूट के सभी डीलरों/व्यापारियों/ऐजेंसियों/स्टॉकिस्टों आदि को सूचित करें।**